113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक निगरानी -दो/14 कटनी R. 3052-II/14

1-रामप्रसाद पुत्र रामरतन विश्वकर्मा
2-नथ्थूलाल पुत्र रामरतन विश्वकर्मा
3-रामकिशोर पुत्र जयपाल
4-जुगलप्रसाद पुत्र जयपाल
5-लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सतई
6-रामकली पत्नी रागेन्द्र
7-सीताबाई पत्नी लक्ष्मीप्रसाद
समस्त निवासीगण ग्राम गुढ़ाकलॉ
तहसील बडवारा जिला कटनी म0प्र0
..........प्रार्थीगण

एस० के० अवस्थी अभि० 11-9-14

विरूद्ध

1-ग्रामवासी गुढ़ाकलॉ, तहसील बडवारा
जिला कटनी म0प्र0
2-म0प्र0शासन ....असल प्रतिप्रार्थी
3-बंशधारी पुत्र जागेश्वर
निवासी ग्राम देवरी तहसील बड़वारा
जिला कटनी म0प्र0
4-धुल्या पुत्र मॅगलिया लौहार
ग्राम गुढ़ाकलॉ तहसील
बडवारा जिला कटनी म0प्र0
.....तरतीवी पक्षकार

कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 180/बी-121/2010-11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-5-11 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को समझे बिना तथा विधि द्वारा स्थापित प्रकिया एवं स्थिति को समझे बिना आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3052-दो/14 **जिला** - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	